जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, उत्तराखण्ड
के

संगठन की विशिष्टियॉ , कृत्य और कर्तव्य

(The particulars of its organization, functions and duties)

1) जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल–गोपेश्वर हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत उद्देश्य एवं क्रियाकलाप उल्लिखित हैं:–

- हर्बल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट इन्स्टिट्यूट, मण्डल–गोपश्वर (उत्तराखण्ड) का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड में नैसर्गिक रूप से पैदा होने वाली जडी–बूटियों, जिनका प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, का वैज्ञानिक–सर्वेक्षण, संरक्षण, पुनरूत्पादन, कृषिकरण करना, ताकि इस क्षेत्र में जडी–बूटी उद्योग स्थापित हो सके जिससे कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार हो सके तथा जडी–बूटी से सम्बन्धित पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना और इससे प्राप्त सूचनाओं को जन साधारण तक पहुॅचाना होगा।
- राज्य में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जडी–बूटियों का वैज्ञानिक ढंग से विस्तार पूर्वक सर्वेक्षण करना तथा ऐसी जडी–बूटियों की विवरण सूची (इन्वेन्टरी) तैयार करना, जिनका प्रयोग देशी चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, तिब्बती आदि), होम्योपैथी, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, पशु चिकित्सा पद्धति, सुगंधी–प्रसाधन व अन्य प्रयोगों में किया जाता है।
- सर्वेक्षण द्वारा, उत्तराखण्ड में स्थित ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करना जहॉ पर अति खनन एवं संचय के कारण जडी–बूटियों का ह्रास हो गया है, साथ ही ऐसी जडी–बूटियों की प्रजातियों की पहचान करना जो बिलुप्त हो रही है।
- क्षेत्रीय निवासियों द्वारा जिन जडी–बूटियों की प्रजातियों का रोगोपचार में प्रयोग किया जाता है उनका सर्वेक्षण करना, वैज्ञानिक पहचान करना तथा उनकी प्रयोग विधि को लिपिबद्ध करना तथा उनका परीक्षण करवाकर सफल प्रयोगों को जनता में प्रसार करना ताकि वे वनौषधियों से स्वास्थ्य लाभ पा सकें।
- स्रकार एवं जनता का ध्यान विलुप्त हो रही जडी–बूटियों की प्रजातियों की ओर आकर्षित करना तथा इनके खनन एवं संचय को वैज्ञानिक आधार पर नियोजित करने अथवा उस पर अवधि रोक अथवा सम्पूर्ण रोक लगाने हेतु सरकार से सिफारिश करना तथा इसके लिए विधि इत्यादि बनाने की मंत्रणा देना ताकि प्रदेश की इस प्राकृतिक सम्पदा का समुचित संरक्षण किया जा सके जिसका सीधा सम्बन्ध देश के पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रगति से है।
- ह्रास एवं विलुप्त हो रही जडी–बूटियों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु तुरन्त अनुवांशिक समूह पौधालय (अल्पाइन एवं समशीतोष्ण) की स्थापना करना तथा उनके प्रसार हेतु तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके उन्हें कृषकों तक पहुॅचाकर उनकी कृषि करवाना।
- ऐसी बाह्य आययित जडी–बूटियों की प्रजातियों जिनकी देश में अत्यधिक मांग है, के बीज विदेशों से मंगवाकर प्रवेश (इन्ट्रोडक्शन) करवाना तथा इनका प्रयोगात्मक कृषि तकनीक प्राप्त कर उन्हें कृषकों तक पहुॅचाकर उनकी कृषि करवाना तथा ऐसे औषधीय पौधों जिनकी कृषि तकनीकी भली–भांति ज्ञात है तथा जिनसे अच्छी आय हो सकती है, उचित जलवायु एंव भौगोलिक संरचना स्थानों में प्रवेश कराकर कृषकों से कृषि करवाना।
- राज्य में प्राप्त जडी–बूटियों का एक पादपालय (हर्बेरियम) तथा संग्रहालय (म्यूजियम) स्थापित करना ताकि उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके तथा भविष्य के संदर्भ (रिफरेंस) तथा पहचान (आइडेन्टीफिकेशन) के लिए प्रयोग किया जा सके।
- इस क्षेत्र से प्राप्त जडी–बूटियों का वानस्पतिक तथा रसायनिक प्रोफाइल तैयार करना। जडी–बूटियों की प्रजातियों पर आनुवांशिक (जिनेटिक) तथा पादप जनन (ब्रीडिंग) शोध कार्य

करना ताकि उपज रोग रहित तथा अधिक सक्रिय रसायनिक तत्व (एक्टिव केमिकल कांस्टीट्युएट) वाली प्रजातियां प्राप्त हो सके।

- जडी–बूटियों की पहचान (आइडेन्टीफिकेशन), मूल्यांकन (इवेलुएशन), मानकीकरण (स्टैण्डडडिजेशन) हेतु प्रयोगशाला खोलना ताकि अच्छी प्रजातियों का प्रसार किया जा सके। ऊतक प्रजनन (टिश्यू कल्चर) द्वारा ऐसी जडी–बूटियों को प्रयोगशाला में प्रसार करना जिनका नैसर्गिक प्रसार बिलम्ब से तथा कठिनाई से होता है।
- जडी–बूटी विज्ञान तथा इससे सम्बन्धित कृषि विज्ञान तथा अन्य वैज्ञानिक पहलुओं पर अनुसंधान हेतु प्रयोगशालायें स्थापित करना।
- जडी–बूटी के व्यवसायियों तथा उपभोक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करना, उन्हें प्रेरित करना तथा कृषकों से अपनी मांग की जडी–बूटियों की कृषि करवाना।
- जडी–बूटियों पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना एवं व्यावसायिक विकास करना। प्रदेश तथा देश के जडी–बूटी बाजार का सर्वेक्षण कर यह तथ्य मालूम करना कि किस जडी–बूटी की कितनी मांग है तथा कहॉ पर है और जडी–बूटी कृषि योजना को तद्नुसार उस पर निर्धारित करना।
- लेख पत्र संग्रह (डाक्यूमेंटेशन), सूचना तथा जनसम्पर्क, प्रशिक्षण आदि लेख पत्र संग्रह–जडी–बूटी सम्बन्धी जो वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक, सूचनाऐं उपलब्ध होगी, उनका संग्रह आधुनिक कम्प्यूटर पद्धति द्वारा करना तथा पुस्तकालय स्थापित करना ताकि संस्थान के कार्यरत वैज्ञानिक तथा अन्य को विमर्श/संदर्भ (रिफरेंस) प्राप्त हो सके तथा शोध कार्य में सहायता मिल सके।
- उत्तराखण्ड के जडी–बूटी किसानों को रिवाल्विंग फण्ड के माध्यम से समर्थन मूल्य की सुविधा उपलब्ध कराना तथा संस्थान द्वारा विकसित जडी–बूटी कृषिकरण तकनीकों का प्रदर्शन करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा पूर्व में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के निम्न कार्य एवं दायित्व निर्धारित हैंः–

- उत्तराखण्ड शासनादेश संख्याः– 834/प्र0स0/2001, देहरादून, मई 15, 2001 संसोधित शासनादेश संख्याः–633/XVI/05/5 (89) 05, देहरादून, दिनांकः 10 मई, 2005 तथा शासनादेश संख्याः 633 A/XVI/05/5 (89)05, देहरादून, दिनांकः 24 अक्टूबर, 2005 के अन्तर्गत जड़ी–बूटी के काश्तकारों के अभिलेखीकरण, पंजीकरण, परिचयपत्र, कृषि उत्पाद को रायल्टी से मुक्त करने हेतु सत्यापन, प्रमाणीकरण व निर्गमन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत किया गया।
- उत्तराखण्ड शासनादेश संख्याः–848/XVI/05/5(122)/05, 03 अगस्त 2005 के अन्तर्गत 26 प्रजातियों का चयन, चयनित प्रजातियों पर 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा 1 लाख या 2.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निर्धारित लागत जो भी कम हो), जडी–बूटी प्रजातियों का कृषकों के माध्यम से कृषिकरण, कृषिकरण के दौरान फील्ड अनुसंधान कार्य तथा पौधशालाओं की स्थापना एवं जडी–बूटी पौध उत्पादन एवं पौधशाला अनुसंधान।
- उत्तराखण्ड शासनादेश संख्याः–2360/व0ग्रा0वि0/उद्यान (जड़ी–बूटी)/2006, 13 नवम्बर, 2006 के अन्तर्गत निदेशक जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को कृषिकरण से उत्पादित जडी–बूटी उत्पाद की निकासी हेतु अधिकृत किया गया।

उपरोक्त उद्देश्यों एवं क्रियाकलापों के अर्न्तगत जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा प्रदेश में वर्तमान में मुख्यतः औषधीय पादपों के शोध एवं विकास, कृषिकरण, पंजीकरण, उत्पादित जडी–बूटियों की निकासी, कृषक प्रशिक्षण, उच्चगुणवत्तायुक्त औषधीय पादपों के बीज–पौध उत्पादन इत्यादि कार्यो का संचालन किया जा रहा है।

2) जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान का मिशन :–

1) उत्तराखण्ड को ''हर्बल राज्य'' (जडी–बूटी राज्य) के रूप में विकसित करना।

2) राज्य किसानों को औषधीय पादपों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना एवं उनके विपणन (मार्केटिंक) की सुविधा प्रदान और सरकारी नीतियों के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन राशि (इंसेटिव) देना।

3) औषधीय पादपों के अवैध संग्रह पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उनके मूल स्थान पर ही संरक्षण (इन–सिटू कंजर्वेशन) से सम्बन्धित कार्य हेतु कार्यवाही करना।

4) उत्तराखण्ड राज्य को इको और हर्बल पर्यटन (टूरिज्म) को बढावा देना।

5) व्यवसायिक महत्व वाले जड़ी बूटी पादपों से लाभ प्राप्त करने हेतु उनकी खेती व प्रसंस्करण प्रोत्साहित करना।

6) जड़ी बूटी की उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने हेतु उनकी कटाई के पूर्व एवं पश्चात् की विधियों एवं तकीनकों के विकास को प्रेात्साहन।

7) औषधीय पादपों के गुणवत्ता–प्रमाणीकरण सुविधाऐं उपलब्ध कराना।

8) जड़ी–बूटी पौध आधारित उद्योगों के निरन्तर विकास हेतु उनकी मॉग व आवश्यकता केन्द्रित शोध करना।

9) जड़ी बूटी उद्योगियों एवं कृषकों को नवीनतम सूचनाओं की जानकारी देना।

10) जड़ी बूटी पौधों के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले उत्पादों एवं सेवाऐं देने को उत्तराखण्ड की उत्कृष्ट पहचान बनाते हुए उपलब्ध जडी–बूटी प्रजातियों को लम्बे समय तक उपयोगी बनाते हुए विकसित भारत 2047 के उद्देश्यों को पूरा करना।

3) जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान का विजन :–

उत्तराखण्ड के प्राकृतिक पर्यावरण को उसकी मूल एवं प्राचीन स्थिति में पुनर्स्थापत करना तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के स्वस्थ जीवन के लिए इसे एक अग्रणी हर्बल (जडी–बूटी) क्षेत्र के रूप में विकसित करना तथा जड़ी बूटी पौधों के उत्पादन एवं उनके उत्पादों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करते हुए पर्वतीय क्षेत्र के उत्पादों के उत्पादन, मूल्य वर्धन व बाजार व्यवस्था में उनका नेतृत्व बना रहा है।

1) जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

उत्तराखण्ड राज्य का हिमालयी एवं उच्च शिखरीय क्षेत्र आदि काल से ही दिव्य एवं विविध औषधीय पादपों की जैव विविधता के लिये विश्व प्रसिद्व रहा है। रामायण में वर्णित जीवनदायिनी औषधीय पादप समूह संजीवनी आज भी विश्व भर में अनुसंधान का महत्वपूर्ण विषय है। हिमालयन की बहुमूल्य औषधीय एवं संगध पादपों के संरक्षण एवं सत्त विकास के लिये जड़ी –बूटी शोध एवं विकास संस्थान (एच.आर.डी.आई.) की स्थापना गोपेश्वर में की गयी है। यह उत्तराखण्ड राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन का एक स्वायतशासी संस्थान है। संस्थान के मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड के औषधीय का सर्वेक्षण, सरंक्षण एवं कृषिकरण कर बाजार सुनिश्चित करना, परम्परागत चिकित्सा पद्वति को विकसित करना तथा औषधीय पादपों के समग्र विकास के लिये आवश्यक अनुसंधान व प्रचार –प्रसार करना है।

2) जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान के कृत्य एवं कर्तव्य :–

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल– गोपेश्वर एक स्वायत्तशासी संस्थान है , जिसका मुख्य कार्य नोडल एजेन्सी के रूप में विभिन्न शासकीय विभागों, अर्द्व सरकारी संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं के मध्य राज्य के अंतर्गत जड़ी बूटी के विभिन्न कार्यो व योजनाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, जड़ी बूटियों के संरक्षण, विकास, कृषिकरण व विदोहन को दिशा व गति प्रदान करना तथा भारत सरकार एवं राज्य के बाहर स्थित संस्थाओं से तकनीक व वित्त पोषण को बढ़ावा देना है।

संस्थान का मुख्यालय मण्डल, गोपेश्वर (चमोली) में स्थित है, संस्थान के 03 जिला स्तरीय कार्यालय यथा जनपद समन्वयक, कार्यालय चमोली, जनपद समन्वयक कार्यालय, विकास भवन, पिथौरागढ एवं जनपद समन्वयक कार्यालय, मनेरा, उत्तरकाशी में स्थित है, का मुख्य कार्य राज्य में औषधीय पौधों के कृषिकरण को बढ़ावा देना है।

संस्थान द्वारा कृषिकरण को बढ़ावा देने हेतु कृषक पंजीकरण एवं अनुदान की व्यवस्था की गई है। साथ ही समय–समय पर वित्त पोषण हेतु जड़ी बूटियों के संरक्षण, विकास व कृषिकरण की विभिन्न योजनाऐं राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली को भेजी जाती है।

3) जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

औषधीय पौधों के विकास के लिये संस्थान द्वारा निम्नलिखित सेवाऐं प्रदान की जा रही है :–

- ❖ औषधीय पौधों के संरक्षण, कृषिकरण एवं प्रसंस्करण के लिए परामर्श एव तकनीकी सेवायें प्रदान करना।

- ❖ औषधीय पौधों के कृषिकरण , पौधशाला स्थापना व प्रौद्योगिकी संबंधी तकनीक का हस्तान्तरण करना।
- ❖ उत्पादकों /कृषकों को भूमि का सर्वेक्षण , कृषिकरण , विपणन एवं व्यावहारिक सूचना उपलब्ध कराना।
- ❖ पादप उत्पाद का बायो–टेस्टिंग एवं यौगिकों के कृषि रसायनों की क्रियात्मक भूमिका का अध्ययन में सहयोग प्रदान करना।
- ❖ कृषकों , व्यापारियों एवं अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान कराना।
- ❖ औषधीय पादपों के समग्र विकास से संबंधित साहित्य उपलब्ध कराना।
- ❖ बौद्विक संपदा एवं पारम्परिक ज्ञान के पेटेन्ट करने हेतु जागरूकता एवं परामर्श प्रदान करना।

4) जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :–

- ❖ निदेशालय, जड़ी बूटी एवं विकास शोध संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर, चमोली, उत्तराखण्ड।
- ❖ जनपद समन्वयक कार्यालय, जड़ी बूटी एवं विकास शोध संस्थान, जनपद चमोली।
- ❖ जनपद समन्वयक कार्यालय, जड़ी बूटी एवं विकास शोध संस्थान, जनपद उत्तरकाशी।
- ❖ जनपद समन्वयक कार्यालय, जड़ी बूटी एवं विकास शोध संस्थान, जनपद पिथौरागढ।
- ❖ संस्थान उपकेन्द्र, सेममुखेम, प्रतापनगर, टिहरी गढवाल।
- ❖ संस्थान उपकेन्द्र, कपकोट, बागेश्वर।

5) मुख्य कार्यालय

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान के अंतर्गत कार्यरत मुख्य कार्यालय का पता निम्नानुसार है।

- ❖ निदेशालय,
  जड़ी बूटी एवं विकास शोध संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर
  दूरभाष – 01372 – 254210, 254273 (टैलीफैक्स)
- ❖ जनपद समन्वयक कार्यालय, जड़ी बूटी एवं विकास शोध संस्थान, जनपद चमोली।
  दूरभाष न0 – 9412364743
- ❖ जनपद समन्वयक कार्यालय, जड़ी बूटी एवं विकास शोध संस्थान, भेषज भवन, मनेरा, उत्तरकाशी, दूरभाष न0 – 9997907934।
- ❖ जनपद समन्वयक कार्यालय, जड़ी बूटी एवं विकास शोध संस्थान, विकास भवन, पिथौरागढ दूरभाष न0 – 9412059390।
- ❖ संस्थान उपकेन्द्र, सेममुखेम, प्रतापनगर, टिहरी गढवाल ।
- ❖ संस्थान उपकेन्द्र, कपकोट, बागेश्वर।

6) कार्यालय खुलने एवं बंद होने का समय

कार्यालय खुलने का समय – **प्रातः 10.00 बजे**

कार्यालय बंद होने का समय – **सायं 5.00 बजे**